आती है, क्योंकि यह स्मगलिंग का मामला है। इस लिये मैं चाहता हूं कि कोई सी० बी० आइ० का अफसर वहां जा कर देखे कि इतने जोर से स्मगलिंग कैसे होता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सारे केस को सी० बी० आई० को भेजने के लिये तैयार है, जो कि इसकी एन्कवायरी करे कि किस ढंग से स्मगलिंग हो रहा है और उसको रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I am prepared to request the Home Ministry to enquire afresh into the matter. But the facts mentioned by the hon. Member do not represent true picture of the state of affairs. My figures show that about 10 to 15 lakh quintals of pulses move every year from various States to Assam, that is, about 30 to 40 lakh maunds. If, as has been alleged by the hon. Member, about 1 to 2 lakh maunds have moved in a period of three months, it is just normal or below normal. I do not see any point in what the hon. Member says.

12·50 hrs.

NEW POLICY OF IMPORT AND DISTRIBUTION OF WOOL

MR. SPEAKER : Yesterday, in reply to a Call Attention of Shri Madhu Limaye, a statement was laid by the Minister because it was a long one and I said that we may take it up today. Shri Madhu Limaye.

SHRI D. N. PATODIA (Jalore) : I have also written a letter to you about it.

MR. SPEAKER : No please. On a Call Attention, I have never permitted any Member whose name is not in the list. That is why Mr. Kanwar Lal Gupta objected to this gentleman getting up.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : At the same time, I would like to know whether we are now establishing a convention that either in putting a supplementary or a question on a Call Attention, we will deliver a speech and no question will be there.

MR. SPEAKER : Shri Madhu Limaye.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : On a point of personal clarification.

You have ruled that nobody should put any question if his name does not appear in the list. I did not want to put any question. But this very thing was in my head, about this smuggling of rice, and today I made a reference to this during the Question Hour that let the Minister make an inquiry —no inquiry was conducted—because Assam is suffering. Therefore, I just wanted a clarification. I just tried to draw your attention to this. I did not want the Minister to reply to me. I did not want my name to appear in the press also.

SHRI D. N. PATODIA : Is it not possible to raise a point of order when the facts are different ?

MR. SPEAKER : You can raise a point of order; you have a right to raise a point of order. But it will be replied to by the Speaker, not by the Minister. If you want to raise a point of order, I will not object at all.

SHRI RANGA (Srikakulam) : In answer to the Call Attention, the statement was laid on the Table of the House. You are correct in saying that only those persons whose names are there in the list are entitled to put questions for further elucidation. But since the time has passed, 24 hours time has been given to the House, and it has become possible for one of our Members to discover an inaccuracy in regard to the point of information that he has given. Surely, you should allow him to raise just that point also.

MR. SPEAKER : There are so many methods, not only a Question, Short Notice Question, Half-an-Hour discussion or some other discussion. There are so many methods given in the Rules book. The Members have got so many privileges and facilities to do that. If you want to do it, I have no objection but it must be changed before that. Whatever I allow to Shri Patodia, I must be able to allow to every Member of the House. I shall not say 'No' to others. Otherwise, it will be said that there is discrimination. That is the difficulty.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : वह सारी चीजें जो आपका लोक-सभा कार्यालय है उन्हें वह रिजैक्ट कर देता है तो इन रूल्स का क्या किया जाय ? इस हिसाब से तो काम नहीं

[श्री काशवीर शास्त्री]

चलेगा। सारी चीजें जो हम भेजते हैं वह लोक-सभा का कार्यालय आपका रिजैक्ट करके भेज देता है रूल्स का हम क्या करें सारे रूल्स धरे रह जाते हैं।

MR. SPEAKER : We are not discussing that.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : हम सारी चीजें भेजते हैं और यह आपका लोक-सभा का कार्यालय रिजैक्ट कर देता है सारे रूल्स धरे रह जाते हैं···

MR. SPEAKER: Naturally, they have to reject a number of them.

श्री मधु लिमये (मुंगेर): अध्यक्ष महोदय, 8 सफे के बयान में ऊनके आयात और वितरण के बारे में नई नीति आई है और पुरानी नीति में बुनियादी परिवर्तन हुआ है। मैं व्यापार मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पुराने वितरण के बारे में क्या उनके पास शिकायतें आई हैं जैसे कि मौडल वूलन मिल्स के ऊपर श्री एन० सी० दत्त की रपट है। इसी तरीक़े से लुधियाने की जो कबिर वूलन मिल्स है उसके बारे में बम्बई हाई कोर्ट का जो फैसला है अगर एक ही जुमला उसमें से मैं पढ़ूं तो वह काफ़ी होगा क्योंकि पूरा फैसला बहुत लम्बा है। मेरे उसमें से एक जुमले के बढ़ने से यह सदन दंग रह जायगा कि क्या-क्या इनके कार्यालयों में हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, बम्बई का हाईकोर्ट का निर्णय कहता है जिसके कि खिलाफ़ उनकी अपील करने की हिम्मत नहीं पड़ी :

"The decision of the Textile Commissioner of making bulk allocation of Rs. 4,50,000 worth of hair belting tops to Respondent No. 6 (*i.e.*, the Kabir Woollen Mills) on the basis that Respondent No. 6 had the capacity to produce and had in fact produced hair belting yarn which was of the desired quality and specification acceptable to the Association and the Members of the Association, will have to be regarded as arbitrary, unreasonable and perverse and if that is so, that order is liable to be quashed and set aside."

उन्होंने खत्म कर दिया इस आर्डर को लेकिन बीच में यह साढ़े 4 लाख रुपये का माल यह काले बाजार में बेच कर सारा पैसा खा गये हैं। यह एक उदाहरण मैंने आपके सामने रक्खा। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ऊनी उद्योग के लिए बीच में चीनी आक्रमण के बाद नायलोन मंगाया गया 80 लाख रुपये का और उसमें से 50 लाख रुपये का नायलोन सरप्लस है, अतिरिक्त है यह घोषित किया गया। आर्थर ऐक्सपोर्ट ऐंड इम्पोर्ट एजेंसी और कौमनवेल्थ वूलन मिल्स नाम की दो यूनिटों को यह 50 लाख रुपये का नायलोन जो अवमूल्यन के पहले मंगाया गया था , इन दो पार्टियों को दिया गया अवमूल्यन के बाद और बाजार में उसका जो प्रीमियम है उसका खयाल करते हुए मेरा अंदाज है कि 50 लाख रुपये पर यह जो दो यूनिट्स हैं उन्होंने करीब-करीब 6 करोड़ रुपया इन्होंने कमाया होगा···

अध्यक्ष महोदय : सवाल पर आइये।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, 8 सफ़े का बयान है। कुछ तो मुझे बताना पड़ेगा। तो यह उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं एक यह कबिर वूलन मिल्स का और दूसरी यह आर्थर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वूलन मिल्स का। मैंने कहा कि डेढ़, डेढ़ करोड़ और 6, 6 करोड़ का काम किया है। पुरानी नीति इनकी असफल रही इसमें शक़ नहीं। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपने बयान में कहा है कि जिनको कच्चा ऊन दिया जाता था उसका सूत, यार्न बना कर उसका वह वितरण करें यह इनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन यह कहते हैं कि समय पर वितरण नहीं हुआ, देरी हुई या पूरा कोटा नहीं दिया गया, उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, तो यह जो सब बातें हैं, क्या उनके बारे में मंत्री महोदय इस सदन को जानकारी देंगे कि कितना प्रतिशत सूत इन लोगों ने पिछले 5 साल में दिया और उसकी गुणवत्ता (क्वालिटी) क्या थी ?

अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि नई नीति विकेन्द्रित उद्योग के हक़

में है, अब अध्यक्ष महोदय, विकेन्द्रित उद्योग क्या चीज है ? मेरे पास यह पूरी लिस्ट है होज्यरी उद्योग के बारे में। होज्यरी उद्योग यह मानेंगे कि विकेन्द्रित है लेकिन उसमें मैं देखता हूं कि 100 पौंड से कम ऊन का इस्तेमाल करने वाली भी कई यूनिट्स हैं। और एक, दो यूनिट्स ऐसी भी हैं जो दो लाख पौंड ऊन का भी इस्तेमाल करती हैं तो मंत्री महोदय की नई नीति का यह नतीजा निकलेगा कि उसमें काला बाजार होगा और लोग कोटा बेचेंगे, सूत बेचेंगे इसलिए मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात का पता है कि होजियरी उद्योग में करीब करीब 24 ऐसी यूनिट्स हैं जो 40 प्रतिशत कोटा खा जाती है। यहां पर करीब-करीब 1 हजार यूनिट्स की मेरे पास लिस्ट है, जिनमें से 24 यूनिट्स ऐसे हैं जो 40 प्रतिशत कोटा खा जाते हैं। इसी तरह क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि काश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिये—आज श्री कुरेशी कहां हैं ? वह गायब हैं, उनका इसमें हाथ है—काश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिय वह स्पेशल कोटा दे रहे हैं ? वहां पर गलत ढंग से यूनिट कायम किय जा रहे हैं। उनमें यह सारा कोटा बंट जाता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वह यह सारा मामला पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या सदन की किसी कमेटी के सामने भेजने के लिये तैयार हैं ? मैंने जो दो तीन चीजें उठाई हैं, वह कोई मामूली चीजें नहीं हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य समाप्त करें।

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : Previously you used to ring the bell during speeches. Now you are ringing the bell even when a question is being put.

MR. SPEAKER : What can I do ?

श्री मधु लिमये : श्री एम० सी० दत्त की जो रिपोर्ट है उसमें लाखों रु० का मामला है। उसे आपकी इजाजत से मैं हाउस की टेबल पर रखना चाहता हूं।

MR. SPEAKER : Give it to the Speaker. Let us see afterwards.

श्री मधु लिमये : वह डिप्टी डाइरेक्टर टैकनिकल हैं। यह मुझ को आपकी इजाजत से यहां पर रखना पड़ेगा।

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मुझे कोई भी आपत्ति कभी नहीं होती। आप किसी भी कमेटी, जो कि संसद् की हो, मेरे मंत्रालय के बारे में देखने की आज्ञा दे सकते हैं। मुझे कभी इन्कार नहीं होगा। जब भी आप चाहें इसके सम्बन्ध में कुछ भी कह सकते हैं।

जहां तक माननीय सदस्य के सवालों का ताल्लुक है, आपने खुद ही घंटी बजाई है। चार छः सवाल एक साथ आ गये हैं। उन के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि सब के बारे में जांच हो रही है, और जांच के बाद जो कुछ भी उनकी गलती पाई जायेगी, उसके लिये उनको दण्ड मिलेगा।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का कोई जवाब नहीं आया। आप कमेटी नियुक्त कीजिये।

MR. SPEAKER : He cannot say anything now.

श्री मधु लिमये : कुछ बातों का जवाब तो उन्हें ही देना है। वह तो कमेटी के सामने नहीं जायेंगी। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं। जो धांधलियां हैं उनके बारे में मैंने कमेटी की मांग की है। लेकिन जो केवल नीति सम्बन्धी सवाल हैं, उनका जवाब तो उनको देना चाहिये ? मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने जिन धांधलियों के बारे में कहा है उनके बारे में तो कमेटी हो, लेकिन नीति सम्बन्धी जो मेरे प्रश्न हैं, उनका खुलासा तो किया जाये।

MR. SPEAKER : If he wants, he can say.

श्री मधु लिमये : यह मेरा अधिकार है। यह उनकी इच्छा की बात नहीं है।

श्री दिनेश सिंह : हम लोगों की कठिनाई यह है कि माननीय सदस्य समझते हैं कि सिर्फ अधिकार उन्हीं के हैं, बाकी के लोग उनके अधिकार से यहां बैठे हुए हैं। यहां पर सब लोगों के अधिकार ह। हाउस में उनके भी अधिकार हैं और हमारे भी अधिकार हैं। इसके हिसाब से यहां पर बात की जानी चाहिये। इस तरह से बात करने का कोई तरीका नहीं है।

जहां तक जांच का सवाल है, मेरा कहना यह है कि सदन जिससे चाहे जांच करवा सकता है।

श्री मधु लिमये : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। इस तरह से मैं बैठने वाला नहीं हूं।

MR. SPEAKER : No, no. This cannot be continued. I am on my legs.

श्री मधु लिमये : आप खड़े हैं तो मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर मंत्री महोदय खड़े रहेंगे तो मैं भी खड़ा रहूंगा।

MR. SPEAKER : I am on my legs. He will please resume his seat. If hon. Members are not satisfied with the answer, they can take to some other methods or devices to have the matter further clarified. What am I to do ? As the hon. Minister has said, he has also some rights here. He says 'I am not able to give more information'.

श्री मधु लिमये : इसमें सैटिस्फैक्शन का कोई सवाल नहीं है। हमारा हक़ है। क्या वह हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देंग ?

MR. SPEAKER : He has said that.

श्री मधु लिमये : मेरी प्रार्थना यह है कि नीति के बारे में वे जवाब दें। मैंने पूछा है कि...

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : कोई जवाब नहीं आयेगा। **व्हाट इज दिस ?**

श्री मधु लिमये : प्रश्न पूछे जाते हैं जवाब पाने के लिये।

MR. SPEAKER : I am not allowing it.

---

13 Hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER SECTION 4 OF THE TRACTORS (PRICE CONTROL) ORDER, 1967, ETC.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : I beg to lay on the Table—

(1) A copy each of the following Notifications issued under section 4 of the Tractors (Price Control) Order, 1967 :

(i) S. O. 2943 published in Gazette of India dated the 26th August, 1967, making certain amendment to Notification No. S.O. 1119 dated the 30th March, 1967.

(ii) S.O. 2944 published in Gazette of India dated the 26th August, 1967, making certain amendment to Notification No. S.O. 2372 dated the 11th July, 1967. [*Placed in Library, See* No. LT- 1832/67]

(2) (i) A copy of the Annual Report of the Mining and Allied Machinery Corporation Limited, Durgapur, for the year 1965-66, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

(ii) Review by the Government on the working of the above Corporation. [*Placed in Library. See* No. LT-1833/67]

EXPORT (QUALITY CONTROL AND INSPECTION) AMENDMENT RULES, ETC.

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH) : I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Export (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 1967, published in Notification No. S.O. 3965 in Gazette of India dated the 6th November, 1967, under sub-section (3) of section